न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 135 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

गिरधारीसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी
मण्डली तहसील पचपदरा
जिला बाड़मेर (राज)।

बनाम 1.तहसीलदार एवं भूमिधारक
महोदय, पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 108 / 2014 बनवान गिरधारीसिंह बनाम तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015।

उपस्थित

1. वकील श्री राजेश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 15.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट का पुस्तैनी खेत खसरा संख्या 514 रकबा 62.14 बीघा सरहद मौजा मण्डली में स्थित हैं। उक्त भूमि गैर मुमकिन मगरा के रूप में अंकित हैं। अपीलांट समय समय पर बिगोड़ी अदा की जाती रही, अपीलांट का नाम बतौर काश्तकार के रूप में भी अंकित किया गया, अपीलांट का आवास निवास व काश्त इत्यादि की भी राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां की जाती रही हैं मगर अपीलांट के नाम खातेदारी अंकित नहीं की गयी। इस कारण अपीलांट द्वारा वाद पेश किया गया। पत्रावली में तहसीलदार पचपदरा की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 30.05.2015 को मुर्करर थी, मगर उक्त वाद पत्रावली बिना किसी कारण के नियत पेशी से पूर्व ही अन्यास ही दिनांक 27.05.2015 को सुनवाई में लोक अदालत कैम्प मण्डली में लेकर प्रतिवादी तहसीलदार का जबाव लेकर अकारण ही बिना किसी विधिक प्रक्रिया के खारिज कर दिया गया। जबकि उस रोज न तो अपीलांट उपस्थित था और नहीं ही अपीलांट के आदेशिका में हस्ताक्षर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। अपीलांट को तहसीलदार द्वारा पेश जबाव की प्रति भी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि की मंशा के अनुसार पारित किया गया नहीं है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का पुस्तैनी खेत खसरा संख्या 514 रकबा 62.14 बीघा सरहद मौजा मण्डली में स्थित हैं। उक्त भूमि गैर मुमकिन मगरा के रूप में अंकित हैं। अपीलांट समय समय पर बिगोड़ी अदा की जाती रही, अपीलांट का नाम बतौर काश्तकार के रूप में भी अंकित किया गया, अपीलांट का आवास निवास व काश्त इत्यादि की भी राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां की जाती रही हैं मगर अपीलांट के नाम खातेदारी अंकित नहीं की गयी। इस कारण अपीलांट द्वारा वाद पेश किया गया। पत्रावली में तहसीलदार पचपदरा की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 30.05.2015 को मुर्करर थी, मगर उक्त वाद पत्रावली बिना किसी कारण के नियत पेशी से पूर्व ही अन्यास ही दिनांक 27.05.2015 को सुनवाई में लोक अदालत कैम्प मण्डली में लेकर प्रतिवादी तहसीलदार का जबाव लेकर अकारण ही बिना किसी विधिक प्रक्रिया के खारिज कर दिया गया। जबकि उस रोज न तो अपीलांट उपस्थित था और नहीं ही अपीलांट के आदेशिका में हस्ताक्षर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की मंशा के विपरित जाकर पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070 से 2073 मौजा मण्डली में वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन मगरा दर्ज है। जो राजकीय भूमि है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट/वादी का कोई हक हिस्सा होना जाहिर नही होता है। मौके पर अपीलांट/वादी की स्थिति एक अतिक्रमी की हैसियत है। अपीलांट/वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट/वादी का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कि उक्त वाद पत्र की आगामी पेशी दिनांक 03.05.2015 को वास्ते मात्र एक ही प्रतिवादी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की तलबी हेतु मुर्करर थी और बिना किसी कारण के ही भूमिधारक का दिनांक 27.05.2015 को कैम्प मण्डली में जबाव लेकर वाद की प्रक्रिया अपनाये खारिज कर दिया गया। इस प्रकार विधि व विधान से परे पारित निर्णय की कोई मियाद अवधि ही नहीं हैं व न ही अपीलांट व उसके अधिवक्ता को ज्ञान ही हो पाया। दिनांक 01.09.2017 को हल्का पटवारी ने वादग्रस्त भूमि पर आकर अपीलांट को बाहर निकलने व वाद खारिज होने की धमकी दी जिस पर अपीलांट को प्रथम बार जानकारी हुई तब आलोच्य निर्णय निर्णय की तत्काल नकल मांगी गयी जो दिनांक 11.09.2017 को प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। निर्णय हुए 02 वर्ष 4 माह तक प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई? इसकी जानकारी अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता को नहीं हुई यह मियाद के बिंदु पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इतनी सुदीर्घ अवधि का ज्ञान अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता किसी कारण नहीं हो सका इसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई विलम्ब सद्भाविक नहीं है। अपील मियाद बाहर है फिर भी इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर भी किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपील पूर्व में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी थी परन्तु अपीलांट के आवेदन पर इसे न्यायहित में पुनः बरामद कर सुनवाई पर लिया गया। अपीलांट के वकील द्वारा मुताबिक न्यायालय आदेश प्रार्थी नैनूराम मेगवाल अध्यक्ष मेगवाल शिक्षा प्रचार समिति मण्डली, तहसील पचपदरा के नाम सम्मन पेश ही नहीं किये। न्यायालय आदेश की अवज्ञा की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट के कथन राजस्व रिकॉर्ड के आलोक में सत्य नहीं है। अपीलांट मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत रखता है। अपीलाधीन भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा है जो एक प्रतिबंधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भूमि है। इस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। इस भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2014 बनवान गिरधारीसिंह बनाम तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

15/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner